RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.036

मध्य बिहार भूमि सुधार कार्यक्रमों की समस्याएँ

डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद

अर्थशास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

कृषि संरचना में परिवर्तन दो तरीकों से हो सकते हैं : (1)सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं के चलन से स्वतः समय के साथ; तथा (2) कृषि संरचना में 'प्रत्यक्ष हस्तक्षेप' के माध्यम से। कृषि संरचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से होने वाले परिवर्तन भूमि सुधार कहलाते हैं। भारत में भूमि सुधारों के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि से देश में पाई जाने वाली भू–धारण प्रणालियां शोषणकारी थीं।

भारत में भू–धारण प्रणालियां :–

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ होने से पहले भू–धारण की तीन प्रणालियां–जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी थीं।

जमींदारी प्रथा–इस देश में जमींदारी प्रथा का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में हुआ था। इससे पहले भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवर्नर–जनरल कार्नवालिस ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस देश में स्थायी बन्दोबस्त किया जिसके आधार पर जमींदारों को जहां एक ओर लगान एकत्रित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया वहां उन्हें अपने–अपने क्षेत्रों का मालिक भी बना दिया गया। प्रारम्भ में जमींदारों को किसानों से एकत्रित लगान का 10/11 भाग राज्य को देना होता था और शेष 1/11 भाग वे अपने पास रखते थे। अंग्रेज शासकों का जमींदारी प्रथा के विषय में विश्वास था कि इससे जमींदारों का भूमि में हित उत्पन्न हो जाने के कारण कृषि विकास होगा। उनका विचार था कि इससे जमींदारों को खेती में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जमींदारों की व्यवहार में केवल एक ही दिलचस्पी थी–वे अपने विलासी जीवन के लिए किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे।

जमींदारी प्रथा के दोष–

जमींदारी प्रथा कृषि विकास और सामाजिक न्याय दोनों ही पहलुओं से अनुपयुक्त सिद्ध हुई। संक्षेप में इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :

1. **विकास में बाधा–** उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा कृषि क्षेत्र में मध्यस्थों की मौजूदगी थी। सच तो यह है कि जमींदारी प्रथा के कारण इस काल में भारतीय गांवों में कानूनी, आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों की एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिससे उत्पन्न प्रभाव को डेनियल थोर्नर एक ढांचागत बाधा मानते हैं। इस प्रभाव के कारण कृषि में आधुनिकीकरण नहीं हो सका। किसानों को निवेश करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी और उन्होंने पीढ़ी–दर–पीढ़ी परम्परागत ढंग से खेती को जारी रखा। वास्तव में 1880 में बीसवीं शताब्दी के पांचवे दशक तक कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की सी स्थिति बनी रही।[1]
2. **मध्यस्थों की बड़ी संख्या–**जमींदारी प्रथा में सरकार और काश्तकारों के बीच एकमात्र मध्यस्थल जमींदार न होकर बहुत सारे बिचौलिये होते थे। अक्सर जमींदारों से पटनीदार भूमि को शिकमी ले लेते थे और वे जमीन अपने से नीचे के लोगों को शिकमी दे डालते थे। इस प्रकार बहुत सारे बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे। बंगाल में तो अनेक स्थानों पर जमींदार और जमीन जोतने वाले वास्तविक किसानों के बीच 50 से भी अधिक मध्यस्थ उत्पन्न हो गए थे। मध्यस्थों का यह सम्पूर्ण वर्ग लगानजीवी था और इसका उत्पादन कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था। कृषि क्षेत्र में इस वर्ग की मौजूदगी के कारण 'आर्थिक आधिक्य' की बर्बादी स्वाभाविक थी।
3. **शोषण–**जमींदारी प्रथा शोषण पर आधारित प्रणाली थी। इसमे जमींदारों को किसानों सम मनमाना लगान वसूल करने का अधिकार था। हर्षदेव मालवीय के अनुसार देश के लगान की दर उत्पादन की 34 से 75 प्रतिशत तक थी।[2] राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा भाग एक अनुत्पादक वर्ग के द्वारा गरीब किसानों का शोषण कर हथिया लेना अन्यायपूर्ण तो था ही साथ ही यह पूंजी निर्माण तथा आर्थिक निवेश की दृष्टि से भी गलत था।

जमींदार के द्वारा किसानों के शोषण का पूरा अनुमान लगान की राशि से नहीं हो सकता। जमींदार किसानों से लगान के अतिरिक्त बेगार लेते थे। किसानों को उन्हें भेंट अथवा नजराना आदि भी देना होता था। जमींदार से ऋण लेने पर तो किसान की स्थिति भूदास जैसी हो जाती थी। सच तो यह है कि लगान न दे पाने पर अथवा किसी अन्य कारण से

RRIJM 2015, All Rights Reserved

काश्तकारों तथा उनके परिवार के लोगों को जमींदारों और उनके कारिन्दों के हाथों पिटना भी पड़ता था।

महालवाड़ी व्यवस्था–महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बैंटिक द्वारा आगरा व अवध में लागू की गई। बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में मालगुजारी की दृष्टि से सम्पूर्ण गांव इकाई होता था। बन्दोबस्त द्वारा गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। मुखिया गांव के सभी भूमिधारियों से लगान वसूल करता था। कांग्रेस भूमि सुधार समिति के अनुसार इस व्यवस्था में भू–सम्पत्ति का स्वामित्व सामूहिक अथवा सामाजिक था। महालवाड़ी प्रथा में बन्दोबस्त की अवधि, मालगुजारी का निर्धारण इत्यादि भिन्न–भिन्न स्थानों पर अलग–अलग था।

रैयतवाड़ी व्यवस्था–रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिणी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बरार, पूर्व पंजाब, असम तथा कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में रैयत अथवा काश्तकार ही भूमि का स्वामी होता था और उसके तथा राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था। रैयत को भूमि बेचने, हस्तांतरण करने, गिरवी रखने, शिकमी देने तथा उपहार में देने का अधिकार प्राप्त था। जब तक वह बन्दोबस्त के समय निर्धारित मालगुजारी देता रहता था, उस समय तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। जमींदारी व्यवस्था में ये अधिकार काश्तकारों को प्राप्त नहीं थे।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में बन्दोबस्त अस्थायी होता था। रैयत के स्वामित्व की जोतों के लिए मालगुजारी अलग–अलग तय की जाती थी। बन्दोबस्त मध्य प्रदेश में 20 वर्ष के लिए, बम्बई (महाराष्ट्र) में 30 वर्ष के लिए तथा मद्रास (तमिलनाडु) व संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में 40 वर्श के लिए किया जाता था।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी स्थिति अच्छी नहीं रही। ब्रिटिश शासकों के लालच ने रैयतों को आर्थिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से बर्बाद कर दिया और उनकी स्थिति लगभग वहीं हो गई जो जमींदारी व्यवस्था में काश्तकारों को हो गई थी। हम स्पष्ट कर आए हैं कि रैयतवाड़ी प्रथा में भू–स्वामित्व किसानों के साथ में होता है परन्तु थोड़े ही समय में यह स्वामित्व उसी वर्ग के लोगों के पास पहुंच गया जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जमींदार बन बैठे थे। इन क्षेत्रों में महाजन एवं साहूकार ऋण देकर किसानों को अपने चंगुल में फंसा लेते थे और बाद में उन्हें भूमि के स्वामित्व से वंचित कर देते थे। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भी जमींदारों का नया वर्ग बन गया।

संदर्भ ग्रंथ–सूची :

1. Daniel Thorner, The Agrarian Prospects in India (Delhi,1976).
2. H.D. Malviya, Land Reforms in India.
3. Government of India, Planning Commission, Third Five Year Plan.
4. Charles Bettelheim, India Independent (Indian Reprint, Delhi, 1977).
5. Government of India, Tenth Five Year Plan, 2002-07 (New Delhi, 2003), Vol. II.
6. P.S. Appu, “Tenancy Reform in India”, Economic and Political Weekly, Vol. X, No. 33, 34 & 35, August 1975.
7. A.M. Khusro, Conomics of Land Reform and Farm Size in India.
8. D. Bandhyopadhyay, “Land Reforms in India : An Analysis”, Economic and Political Weekly, June 21-28, 1986.

RRIJM 2015, All Rights Reserved